न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ़ दिनांक 09.09.2023

राजस्व वाद संख्या : 61 / 2023

निर्णय दिनांक : 09.09.2023

भानीराम पुत्र मोटाराम जाति जांगिड़ निवासी कस्बा छापर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

...............वादी

वनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

...............प्रतिवादी

दावा वावत राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती

उपस्थित :–

1. श्री मोहनलाल विरसु एडवोकेट वादी
2. प्रतिवादी संख्या 02 पेरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी के खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का खेत ख.स. 116 तादादी 10.1539 हैक्टेयर व खसरा संख्या 142 तादादी 6.2339 हैक्टेयर कुल किता दो किता तादादी 16.2339 हैक्टेयर रोही ग्राम छापर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है, जिसका वर्तमान खाता संख्या 335 है जिसमें वादी का नाम भागीरथ पुत्र मोटाराम अंकित है जबकि राजस्थान सरकार द्वारा जारी जनआधार कार्ड तथा आधार कार्ड तथा पैन कार्ड आदि में वादी का नाम भानीराम पुत्र मोटाराम है। अतः वर्तमान खाता संख्या 335 रोही छापर में वादी का नाम गलत अंकित होने के कारण वादी सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने से वंचित हो रहा है। इसलिए वादी को आवश्यक हो गया कि वह वादगत खेतों में गलत नाम का संशोधन करवाकर भानीराम पुत्र मोटाराम अंकित करवाये जिसके लिए वादी को कानूनी अधिकार प्राप्त है।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत में वादी का नाम भागीरथ दर्ज है जबकि वादी के दस्तावेजों में नाम भानीराम है। भागीरथ तथा भानीराम दोनों एक ही व्यक्ति हैं। अतः वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में भागीरथ पुत्र मोटाराम के स्थान पर भानीराम पुत्र मोटाराम किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Kumar
Date: 2023.12.12 14:08:02 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, पेन्शन पी.पी.ओ., राशन कार्ड की प्रतिलिपि, तथा आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड आदि दस्तावेजात में भी वादी का नाम भानीराम पुत्र मोटाराम अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

दावा वादी राष्ट्रीय लोक अदालत में अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 116 तादादी 10.1539 हैक्टेयर व खसरा संख्या 142 तादादी 6.2339 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल तादादी 16.3878 हैक्टेयर रोही ग्राम छापर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की कृषि भूमि की खातेदारी में वादी का नाम भागीरथ पुत्र मोटाराम जाति जांगिड़ निवासी छापर खातेदार के स्थान पर भानीराम पुत्र मोटाराम जाति जांगिड़ निवासी छापर खातेदार दर्ज किया जावे। तदनुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 09.09.2023 को टंकित करवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

9/9/23

अध्यक्ष
लोक अदालत
सुजानगढ़

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Kumar
Date: 2023.12.12 14:08:02 IST
Reason: SelfAttested